


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा निगम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नाते समिति की बैठक दिनांक 19.02.13 द्वारा की गई अभिशंपानुसार श्री रण सिंह श्योराण, वरिष्ठ अध्यापक का प्रधानाध्यापक-मावि (गुप-एफ) के पद पर पे-वेण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4800 पी डी-2 में वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के प्रति चयन किया गया था। तत्समय श्री श्योराण का चयन आदेश सीरीए 16 में विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण जारी नहीं किया गया। विभाग के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/वि०जॉय/11172/ (आर-173)/10/ 235 दिनांक 24.09.18 के द्वारा उक्त प्रकरण समाप्त (DROP) किया गया है। अतः श्री रण सिंह श्योराण, वरिष्ठता क्रमांक 1530(A) अवधि 1981-82, जन्म तिथि 04.05.1952 को डीपीसी वर्ष 2009-10 की रिक्ति के प्रति चयनित किया जाकर मूल चयन आदेश की क्रम संख्या 642 वरिष्ठता क्रमांक 1528 अवधि 1981-82 श्री अमरदीप शर्मा जन्म तिथि 21.01.1956 के बाद य 643 वरिष्ठता क्रमांक 1536 अवधि 1981-82 श्री राघवेन्द्र सिंह जन्म तिथि 02.12.1953 से पूर्व प्रतिस्थापित किया जाकर चयन आदेश जारी किया जाता है।


(सौरम स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/माध्य/संस्था/वी-III/डीपीसी/प्रधानाध्यापक/2009-10/21 दिनांक:- 5/7/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
6. शिक्षा शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) बीकानेर
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग एवं संस्थापन एबी अनुभाग को सूचनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर